


६१

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वा लियर मो प्रो सा किट कोर्ट कैम्प रीवा



श्रीमती सियादुलारी जैसवाल पत्नी श्री जमुना प्रसाद जैसवाल उम्र 54 वर्ष

निवासी इटहरा तहसील मैहर जिला सतना मो प्रो --- निगरानीकर्ता

बनामो

किशोरी लाल उर्फ कुवेर चौरसियाँ तनय मुण्डा चौरसियाँ उम्र 47 वर्ष निवासी

चौरसियाँ मो० तह० मैहर जिला सतना मो प्रो --- गैर निगरानीकर्ता

आदेश श्री महेश्वर सिंह
द्वारा जैसा / 19.6.17

महेश्वर सिंह
जिला सतना

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर
आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा मो प्रो के
प्रो प्रो 927 / अपील / 16-17 आदेश दिनांक
26-5-17 को पारित ।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मो प्रो भू० रटो सं०
1959 इ०

मान्यवर,

निगरानी के तथ्य

॥१॥ यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रत्यक्षी / गैर -

निगरानी कर्ता ने निगरानी कर्ता के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय मे आवेदन पत्र
अन्तर्गत धारा 131, 132 का० सं० के अन्तर्गत इस आधार पर प्रस्तुत किया कि
ग्राम कटियाकला तह० मैहर मो प्रो को आ० नं० 165/4 रकवा 0.063 है० से
रास्ता के निर्माण कार्य को अन्तर्गत किया जाने वाला एवं रास्ता के चौकियों को

62

सियादुलारी - खिरोरी ताला

नोटसेत 24

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
<p>28-7-17</p> <p>(68)</p>	<p>1- आवेदक अभिभावक श्री महेश सिंह</p> <p>2- वास्ते बदायी 25-10-17</p> <p>पेशी तारीख 25-10-17</p> <p>आज्ञा से रीडर</p>	<p>25-10-17</p> <p>(M)</p>
<p>(134)</p>	<p>25-10-17- अधिकता भए... 30 दिन अंदर पर है।</p> <p>2- वास्ते प्रकरण पूर्ण है।</p> <p>पेशी तारीख.. 19-12-17</p> <p>आज्ञा से रीडर</p>	
<p>19-12-17.</p>	<p>1- सांघातिक पेशी दिनांक 27-12-17 हेतु बदायी गयी।</p>	
<p>27/12/17</p>	<p>आवेदक अभिभावक श्री महेश सिंह अपने आवेदन प्राप्त कर खिरोरी में किया आता है कि वह एकलौ को बदायी कर - बदायी चाहे है आवेदक अभिभावक को खिरोरी लौकार - किया जाता है तथा एकलौ न बदायी के कारण इसी स्तर पर समझ किया जाता है।</p> <p>(Signature)</p>	<p>27/12/17</p> <p>(M)</p>